बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

## —:: संकल्प ::—

**विषय :— राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) स्थान आरक्षित करने के संबंध में।**

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा–32 में यह व्यवस्था की गई है कि सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिन्हें सरकार से सहायता मिली हो, में नामांकन में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाय।

तदनुकूल उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप यह निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह आरक्षण संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। आरक्षित कोटि के दिव्यांग उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर नामांकन हेतु चयनित होते हैं, की गणना दिव्यांग के लिए नामांकन के दिये जा रहे 5% आरक्षण के विरूद्ध नहीं की जायेगी, बल्कि उनकी गणना सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में की जायेगी। संविधान में निहित समानता का अधिकार के अनुरूप दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु दिव्यांग किसे कहा जायेगा तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, उससे दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। चयनित दिव्यांग उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के जिस वर्ग से आते हो उसी वर्ग में उनकी गिनती होगी। किसी नामांकन विशेष के लिए चयनित दिव्यांग उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं, तो उनकी गिनती अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी। यदि वे अनुसूचित जनजाति के हैं, तो उनकी गिनती अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी। यदि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं से संबंध रखते हों, तो उनकी गिनती क्रमशः अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा

वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी। इसी प्रकार यदि वे सामान्य वर्ग के हैं, जो उनकी गिनती सामान्य वर्ग के ही विरूद्ध की जायेगी।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

**ज्ञापांक—11/आ0नी0—I—06/2017 सा0प्र0.....पटना—15, दिनांक—.....**

**प्रतिलिपिः**—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

**ज्ञापांक—11/आ0नी0—I—06/2017 सा0प्र0**7162**.....पटना—15, दिनांक—**31-5-18.....

**प्रतिलिपिः**—महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना,/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों /स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

30/5/18
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D:\ABHINEET SHYAM - TIPPN